प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मो0 अज्जम उर्फ इफ्तेखार पुत्र श्री गरीबुल्लाह, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम-06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मो0 अज्जम उर्फ इफ्तेखार पुत्र श्री गरीबुल्लाह, जो- ग्राम-पंखोबारी, थाना-लालगंज, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। दहेज में कार एवं 05 तोला सोने की सीकड व अन्य सामान की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.10.2009 को सुबह लगभग 09:00 बजे अपनी पत्नी अफरोज की जला कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-98/2011 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बस्ती के आदेश दिनांक 29.11.2004 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2016 तक 06 वर्ष 07 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 11 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दहेज में कार एवं 05 तोला सोने की सीकड व अन्य सामान की मांग पूरी न होने के कारण 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.10.2009 को सुबह लगभग 09:00 बजे अपनी पत्नी अफरोज की जला कर हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 अज्जम उर्फ इफ्तेखार पुत्र श्री गरीबुल्लाह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 अज्जम उर्फ इफ्तेखार (बन्दी संख्या-5177/2014) पुत्र श्री, निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-803/2018/2713(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-803/2018/2713/22-2-2017-17(681)/2017

दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मो0 अज्जम उर्फ इफ्तेखार पुत्र श्री गरीबुल्लाह, जो- ग्राम-पंखोबारी, थाना-लालगंज, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। दहेज में कार एवं 05 तोला सोने की सीकड व अन्य सामान की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.10.2009 को सुबह लगभग 09:00 बजे अपनी पत्नी अफरोज की जला कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-98/2011 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बस्ती के आदेश दिनांक 29.11.2004 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2016 तक 06 वर्ष 07 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 11 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दहेज में कार एवं 05 तोला सोने की सीकड व अन्य सामान की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.10.2009 को सुबह लगभग 09:00 बजे अपनी पत्नी अफरोज की जला कर हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 अज्जम उर्फ इफ्तेखार पुत्र श्री गरीबुल्लाह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in